

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक:प.10(35)नविपि/3/2010

दिनांक- 29 AUG 2019

आदेश

राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के गठन के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 11.12.14, 18.12.14, परिपत्र दिनांक 02.02.11 व आदेश दिनांक 30.05.17 को प्रत्याहारित करते हुए सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के क्रम में नगर पालिका/परिषद/निगम/न्यास/प्राधिकरणों हेतु राज्य स्तरीय समिति भू-उपयोग परिवर्तन समिति का गठन राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 के नियम 5 (ड) के अनुसार समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1.	मुख्य शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
3.	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
4.	संबंधित निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम/नगर विकास न्यास/जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण) का मुख्य नगर पालिका अधिकारी या सचिव (नैसी या स्थिति हो)	सदस्य
5.	समाय-समय पर इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत मुख्य नगर नियोजक/नगर नियोजक (जिसो भी स्थिति हो)	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा दिये गये निर्णय के क्रियान्वयन हेतु संबंधित नगरीय निकाय को भेजे जाने से पूर्व उस पर प्रभारी मंत्री, नगरीय विकास विभाग का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

क्रमांक:प.10(35)नविपि/3/2010

दिनांक- 29 AUG 2019

प्रतिनिधि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान, समस्त।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक, एनपीआर, राजस्थान, जयपुर।
10. संबंधित जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ/उप नगर नियोजक समस्त, राजस्थान, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागाध्यक्ष वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
12. रजिस्ट्रार पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय,